

**मांग संख्या 02**  
**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 1**

स्वागत तथा सामपत्तिक योजना अंतर्गत आतिथ्य व्यय के लिये राशि 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 2**

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु ` 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2250**

**मद क्रमांक 3**

राज्य के पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं को सम्मान निधि हेतु ` 4.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।